पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति : एक राजनैतिक अध्ययन

*मीनू सिंह चौहान

शोध सारांश

प्राचीन भारत में पंचायतीराज संस्थाऐं जनता की संस्था के रूप में काफी प्रभावकारी रूप से कार्य करती रही है। गांवों के विकास में पुरूषों के समान महिलाओं की सहभागिता तथा भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मे अहम् भूमिका निभाती है। जब तक महिलाऐं जागरूक नहीं होगी तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभायेगी, तब तक राष्ट्र का सर्वागीण विकास संभव नहीं है। इसी सन्दर्भ में पण्डित जवाहर लाल ने कहा था ''यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं मे जागृति पैदा करें। एक बार जब वे आगे बढती है तो एक परिवार आगे बढता है[1] गांव तथा शहर आगे बढता है स्वयं सारा देश आगे बढता है'' महिलाऐं अपनी भूमिका के प्रति संचेत होने के बावजूद भी आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित रही है। अतः महिलाओं का जागरूक होना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद ने कहां था ''समाज रूपी गरूड के स्त्री और पुरूष दो पंख होते है। यदि एक पंख सबल तथा दूसरा दुर्बल हो तो उसमें गगन को छुने की शक्ति कैसे निर्मित होगी''। इसमें कोई संदेह नही है कि स्त्री पुरूष एक ही गाड़ी के दो पहिए है। यदि एक भी पहिया कमजोर होगा तो गाड़ी आगे बढेगी कैसे[2]।

अतः महिलाओं को जागरूक बनाने तथा उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए संविधान का 73वां संशोधन इस क्षेत्र में उठाया गया एक ठोस कदम है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी महज प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में राजनैतिक सहभागिता के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता, वरन् महिलाओं के लिए विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भी जरूरी माना जाता है।

महिलाऐं समाज का अभिन्न अंग है अतः सामाजिक व आर्थिक विकास की संकल्पना महिलाओं के विकास व सशक्तीकरण के बिना अधूरी है। वस्तुतः स्त्री–पुरूष असमानता का प्रश्न सभ्यता के प्रारम्भ से बौद्विक वर्ग के चिंतन का प्रमुख बिन्दु रहा है। समाज की आधी आबादी के संबंध में समाज की असमतावादी सोच के कारण ही महिला वर्ग अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को साकार कर समाज एवं राष्ट्र के विकास में अपने योगदान के अवसर से सदैव वंचित रहा है। यह स्थिति विकास प्रक्रिया मे महिला वर्ग के प्रतिनिधित्व के अभाव में उनकी सोचनीय स्थिति की घोतक है" महिला अधिकारों को लेकर प्रायः सभी धर्मो व समाजों में महिला विरोधी रूख रहा है। पितृसतात्मक समाज में महिलाओं को पुरूष के मुकाबले न केवल निम्न माना गया अपितु उस पर अनेक प्रतिबंध भी थौप दिए गए, जिससे कि वह कभी भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न बन सके। लैगिंक भेदभाव के कारण दुनिया की आधी जनसंख्या अपनी पूरी प्रतिभा को साकार करने के अधिकार से वंचित रह जाती है[5] आधुनिक युग में मेरी वॉल्स्टन क्रॉफ्ट ने अपनी पुस्तक 'ए विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन' (1792) में महिलाओं को मानव विकास के सभी अधिकारों के योग्य मानते हुए कानूनी, शैक्षणिक और राजनीतिक समानता दिलाने पर बल दिया। हैरियट टेलरी और जे.एस.मिल (1806–1873) ने महिलाओं की मुक्ति का प्रबल समर्थन किया। मिल का मानना था कि समाज की आधी जनसंख्या यानि महिलाओं को राज्य कार्य में भाग लेने से वंचित रखकर तथा उन्हें अलग व असंतुष्ट रखकर कोई देश–समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। मिल ने अपनी कृति 'द सब्जेकसन ऑफ विमेन' (1889) में पूर्ण वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता के आधार पर लैगिंग समानता लाने पर बल दिया। उन्होंने माना कि महिलाऐं कई अर्थो में पुरूषों से कमजोर अवश्य दिखाई देती है किन्तु उसका कारण सामाजिक दबाव एवं गलत शिक्षा है जिसे दूर कर महिलाओं को भी पुरूषों के समान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक

विकास से जोड़ा जा सकता है। जे.एस. मिल ने इस बात पर भी बहुत जोर दिया था कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं को लोक कार्यो/राज्य कार्यो में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है क्योंकि उनकी उपस्थिति वातावरण को अधिक मानवीय, अधिक मधुरतापूर्ण व अधिक सरस बनाती है, जिससे कार्य की गुणवत्ता बढती है। इसी प्रकार एलिजाबेथ केडी स्टेन्टन अमेरिका के नारी आंदोलन की आधी सदी से ज्यादा समय तक की सक्रिय कार्यकर्ता रही है। स्टेन्टन ने अपनी पुस्तक 'सेनेकाफाल कन्वेशन ऑफ 1848' में महिला अधिकार, सम्पत्ति के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार तथा राजनीतिक और गिरिजाघर में नारियों की सार्वजनिक भागीदारी के अधिकारों की मांग मुखरता से उठाई। वर्तमान में सैद्वान्तिक रूप से विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों ने अपवादिक स्थिति में कुछ मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़कर महिलाओं के राजनीतिक व अन्य भौतिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया है परन्तु यह कटु सत्य है कि महिलाओं को प्रायः हर देश में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलते है जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। मध्यकाल व इसके बाद स्वंतत्रता प्राप्ति तक इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, देश की अधिकाशं महिलाऐं विशेष तौर पर ग्रामीण गरीब महिलाऐं निरक्षर, रूढिवादी एवं परम्परागत बंधनो से जकड़ी हुई थी। घर की चारदीवारी तक सीमित महिलाएं अनेक प्रकार की कुरीतियों व कुप्रथाओं यथा–बाल विवाह, पर्दाप्रथा, सती प्रथा व दहेज का दंश झेल रही थी। समाज में विद्यमान महिला पुरूष भेदभाव के कारण महिलाओं को विशेषकर ग्रामीण, गरीब महिलाओं को विविध प्रकार के अत्याचार, अनाचर, तिरस्कार व उपेक्षा आदि का सामना करना पड़ता था क्योंकि पुरूष कभी अपने विशेषाधिकार महिला को देने के लिए राजी नहीं रहा।

भारत में आजादी की लड़ाई के पश्चात् नीति निर्माताओं और संविधानविद्ों ने महिलाओं के पिछड़ेपन के मर्म को समझा और उनकी सहभागिता को देश के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं वरन् आवश्यक मानकर संविधान में बराबरी का दर्जा दिया। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की मंशा महिलाओं को सशक्त बनाने की रही है। भारतीय संविधान न केवल महिला–पुरूष समानता पर बल देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक सुनियोजित दर्शन भी प्रस्तुत करता है। आजादी के बाद निर्वाचित सरकारों ने संविधानविद्ों एवं राष्ट्र निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके समग्र व संतुलित विकास को सुनिश्चित करने व उनको विकास की मुख्यधारा में समावेशित करने के लिए अनेक विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया।

संविधान मे किए गए अनेक प्रावधानों के कारण आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। जेंडर इक्वलिटि अर्थात स्त्री–पुरूष समानता का सिद्वान्त हमारे संविधान में ही दिया हुआ है जिसमें महिलाओं की समानता की गारंटी निहित है। इससे वर्षो से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भेदभाव झेल रही महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के साथ उनके पक्ष में सार्थक वातावरण तैयार करने का कानून, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में महिलाओं की उन्नति हमारा प्रमुख लक्ष्य रहा है। महिलाओं को सशक्त, अधिकार सपन्न व जागरूक बनाने क लिए देश के संविधान के अनुच्छेद 39में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।'' इसके साथ ही संविधान में महिलाओं को परम्परागत बंधनों से विमुक्त करवाने के लिए विशेष रियायतों व प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया है।

पंचायतीराज : महिला सशक्तीकरण का मार्ग

महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाने व उनको राजनीतिक समाज में न्यायोचित स्थान प्रदान करने के लिए वर्ष 2001 भारत में महिला सशक्तीकरण के रूप में मनाया गया। महिला विकास के लिए उन सभी मान्यताओं, प्रथाओं को समाप्त करना होगा, जो महिलाओं के विकास मे बाधक है और साथ ही उन प्रकियाओं तथा कार्यक्रमों का प्रचार व्यापक रूप से करना होगा, जो उनके विकास में तथा उनके पिछड़े स्तर को उचां उठाने मे सहायक हो, उन्हें सभी प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर एक विकासात्मक प्रक्रिया का भागीदार बनाया जाना चाहिए। व्यावहारिक रूप में विभिन्न युगों में भारत में नारी की स्थिति उठती और गिरती रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महिलाऐं पर्दे से बाहर निकली है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान निरंतर बढ रहा है। भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें तो पाऐंगे कि चंद वर्षो में ही महिलाओं ने अपनी सफलता के झंड़े गाड़ दिए है,

जो भले ही उनके समझ नई समस्याऐं पैदा करने वाले कारक बने हो। परन्तु पुरानी रूढ़िया हिल गई है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो, जो महिलाओं से अछूता हो पिछले 20 वर्षो मे भारतीय महिलाओं ने अपनी स्थिति में अभूतपूर्ण परिवर्तन किया है। भारत में, जहां पर कुल जनसंख्या का आधा भाग महिलाओं का है, उनका सशक्तीकरण अपरिहार्य है एवं यह केवल उनके राजनीतिक सशक्तीकरण के द्वारा ही सम्भव है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उसके प्रत्येक नागरिक की ठोस और समुचित राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है।

वास्तव में देश का सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक विकास महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के बिना पूरा नही हो सकता क्योंकि महिला नेतृत्व महिला होने के नाते महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। अतः केवल महिलाऐं ही महिलाओं के मत और महिला तथा बच्चों की समस्याओं का प्रभावशाली तरीके से पर्याप्त समाधान कर सकती है और बहुत से विकास के लाभ जो महिलाओं एवं बच्चों के लिए संभव है सुरक्षित रख सकती है। यद्यपि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान किए गए है, जिससे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है। परन्तु व्यावहारिक धरातल पर महिला राजनीतिक सहभागिता को संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन एवं स्थानीय नगर निकायो में प्रत्येक स्तर के पदों पर एक–तिहाई स्थानों पर आरक्षण की व्यवस्था से एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ है। राज्य एवं केन्द्रीय स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का स्तर भले ही उत्साहजनक ना हों, पंचायतीराज संस्थाओं तथा स्थानीय नगर निकायो में उनकी सहभागिता लगातार बढ रही है। 73वें एवं 74वें संशोधन से प्रत्येक स्तर के पदों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो गया है।[10] उतराखण्ड में तो 55 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पंचायतीराज संस्थाओं के 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा मध्यप्रदेश में महिलाओं का कोटा एक–तिहाई से बढाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्तमान केन्द्र सरकार कानून लाकर इस व्यवस्था (महिलाओं हेतु स्थानीय निकायो में 50 प्रतिशत आरक्षण) को संपूर्ण राष्ट्र हेतु करने का सराहनीय प्रयत्न कर रही है।

पंचायतों में महिलाओं को उपलब्ध 33 प्रतिशत (किन्हीं राज्यों में 50 प्रतिशत) आरक्षण ने भारत में लगभग आधी आबादी को राजनीतिक सशक्तता प्रदान करने का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप आने वाली पीढी को सशक्त एवं प्रभावी मार्गदर्शन प्राप्त होने की आशा बलवती हुई है। राजनीति मे महिलाओं के आरक्षण ने हर स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता मे वृद्वि की है, आज पंचायती राज का परिदृश्य बदल रहा है। महिलाऐं अपनी राजनीतिक भूमिका व अधिकारों के प्रति सजग व जागरूक होने लगी है तथा अपनी भूमिका को सफलापूर्वक निभाने के लिए आवश्यक दक्षता प्राप्त कर ही है।

कहीं कहीं तो देखने में आया है कि जहां पर पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। वहां लोगों ने मिलकर उस वर्ग की एक महिला को चुना और उसको चुनाव में विजयी बनाया। चुनाव जीतने के बाद वह महिला उनके सामने सिर झुकाएं खड़ी है। उनके सामने सरपंच वाली कुर्सी पर भी नहीं बैठती वह नीचे जंमीन पर ही बैठती है और उसे जैसे पुरूषों द्वारा कहां जाता है वह महिला वैसा ही करती है यहां तक कि सरपंच के नाम पर आए सभी सरकारी दस्तावेजों या पत्रो को भी पुरूष अपने पास ही रखते है और अपनी इच्छानुसार उन पत्रों का उपयोग भी करते है। जहाँ कहीं महिलाऐं थोड़ा सक्रिय नजर आती है, वे या तो उच्चतर परिवार से संबंध रखती है या परिवार को राजनीति में प्रवेश दिलाने का माध्यम बन गई है। राजनीति की प्रथम सीढी पंचायती राज के द्वारा महिलाओं की इस दयनीय स्थिति को प्रकट करते हुए रविन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में कहा गया है ''हे भगवान आपने महिलाओं को अपने भाग्य पर विजय प्राप्त करने का अधिकार क्यों नहीं दिया, क्यों उसे सड़क किनारे सिर झुकाए इन्तजार करना पड़ता है जो कि एक धैर्य के साथ इन्तजार करती है दुखों में एक आशा की किरण का इन्तजार करती है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के 5–6 वर्षो में अलग–अलग तथ्य सामने आए है। महिलाऐं जो कि समाज के विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी कुछ समस्याऐं ही उनके महिला होने तथा इसके साथ ही दलित परिवार की महिला होने से संबंध रखती है। इसके साथ ही दलित परिवार की महिला को जाति के कारण ही इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रायः पिछले कुछ वर्षो में महिलाओं ने ज्ञान–विज्ञान के हर क्षेत्र में अपनी सफलता के परचम लहराए है। आज देश

व दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। आज उसी का परिणाम है कि जब सरकार अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के लिए भी अपने विकास के मानदण्डों में बदलाव ला रही है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने उन्हें अचूक शस्त्र के रूप में स्थानीय निकायों मे आरक्षण प्रदान किया है परन्तु अभी मार्ग निष्कटंक नहीं हुए है। सकारात्मक रूप से ग्रामीण क्षेत्रो में पंचायतीराज संस्था, जो जमीनी लोकतांत्रिक ढाँचें का निर्माण करती है, ने महिलाओं की भागीदारी को ग्रामीण संरचना में सकारात्मकता की दिशा में बढाया है। लेकिन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। अनेक कारणों से भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति कमजोर बनी हुई है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीतिक एवं आर्थिक भागीदारी आदि से संबंधित संकेतकों में अधिकांश भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी हुई है। राजनीतिक रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, राजनीतिक जीवन में उनके प्रवेश को प्रोत्साहित करने तथा उनकी राजनीतिक सहभागिता में वृद्वि करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़कर राजनीति में न केवल मतदाता के रूप में सहभागी बनाया जाए वरन् प्रतिनिधित्व के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए।

पंचायतीराज मे महिलाओं की भूमिका बढाने के लिए सुझाव

- पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार को उनके द्वारा अधिक से अधिक विकास कार्य करवाए जाने पर उपहार योजना के माध्यम से उपहार दिये जाने चाहिए। उपहार में नकद रकम भी दी जा सकती है जिससे महिलाओं की राजनीति के प्रति जागरूकता बढेगी।
- महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक है कि राजनीति का वातावरण भयमुक्त किया जाए तथा राजनीति को दूषित करने वाले उन तत्वों की पहचान की जाए जो राजनीति तथा राजनीतिज्ञों पर अनुचित दबाव डालकर राजनीति का वातावरण दूषित करते है।
- पंचायतीराज में आरक्षण के साथ ही महिलाओं के लिए एक निश्चित स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए ताकि महिलाऐं अधिक से अधिक पंचायतीराज की राजनीति में जा सके।
- महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी पर अवश्य ही बल दिया जाना चाहिए ताकि स्थानीय स्वशासन में उनकी भूमिका और नेतृत्व को बढाया जा सके।
- पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तीकरण संबंधित हस्तक्षेप के तहत महिलाओं के नेतृत्व विकास व सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।
- एकीकृत शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए अर्थात पुरूष व महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए ।
- महिला प्रतिनिधियों को भी पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से राजनीतिक कार्यकलापों के संचालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- पंचायतीराज के विकास की योजना के निर्माण में उनके विचारों एवं भागीदारी को भी महत्व दिया जाना चाहिए।
- पंचायतीराज की बैठकों में महिलाओं के बिना उपस्थिति के किसी भी प्रकार की कार्यवाही को आगे नही बढाया जाना चाहिए।

पंचायतों के सशक्तीकरण एंव राजनैतिक समाजीकरण को प्राप्त करने के लिए समय समय पर महिला मेलों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। महिला प्रतिनिधियों के साथ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। इससे भविष्य में पंचायत की कार्यशैली पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पंचायतीराज संस्थाओं में ग्रामीण सत्ता का केन्द्र अभी तक पुरूष और उच्च जातियां ही रही है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षित होने से ही महिलाओं को इनमें प्रवेश मिल सका है। अभी भी पंचायतों में पुरूषों का वर्चस्व है क्योंकि लगभग सभी सरपंच पुरूष है। पंचायत समितियों के अध्यक्ष भी पुरूष है। इन संस्थाओं

में महिलाओं की उपस्थिति जरूर हुई है। पर इनके सर्वोच्च पद पर वे अभी नहीं पहुंच पाई है। जहां तक उनकी प्रतिष्ठा का मामला है ग्यारह महिला प्रतिनिधियों को उनके महिला एवं पुरूष सहयोगियों ने प्रभावशाली स्वीकार किया है। यह सब उनकी उम्र, शैक्षिक स्तर, संगठनों में काम करने के उनके अनुभव, सम्पर्क और बेहतर संवाद क्षमता के कारण सम्भव हो पाया है। अतः विश्लेषण से यही पाया है कि पंचायतीराज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढाने के प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हुए है। प्रदेश में राजनीति के अन्तर्गत महिलाओं की सुनिश्चित भागीदारी का मात्र ढ़िढोरा पीटा जा रहा है। राजनीतिक दल महिलाओं को मात्र मुद्दा बनाकर अपने वोट प्राप्त करने का काम कर रहे है। राजनीतिक दल टिकट देते समय अपने ही दल में महिलाओं को तरजीह नहीं देते। सामाजिक व्यवस्था पुरूष प्रधान रही है महिलाओं को सदैव ही पुरूषो से कम समझा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाऐं पुरूषों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है वे सामाजिक बंधनों, पुरूषों का भय, पारिवारिक जिम्मेदारियों व अन्य दायित्वों की वजह से बाहरी गतिविधियों से दूर रहती है। उन्हें पुरूषों से कम अधिकार दिए गए है जिसके बारे मे गांधी ने कहां है कि ''महिलाओं को समस्त वैधानिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए, तब ही भारत की आजादी सार्थक हो पाएगी।''

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी के लिए आरक्षण एवं कई योजनाऐं है और सरकार द्वारा कई प्रयास जारी है लेकिन देहाती महिलाओं की धीमी प्रगति का मुख्य कारण जनसम्पर्क का अभाव एवं महिला कार्यकर्ताओं की कमी है। हालांकि पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत महिला विकास के लिए अनेक कार्यक्रम है परन्तु उन कार्यक्रमों के क्रियान्विति में सक्रियता का अभाव होने के कारण महिलाओं की रूचि कम दिखाई देती हैं। इस स्थिति के पश्चात् आज भी जागरूक एवं शिक्षित महिलाऐं आगे रही है। इसी आधार पर 21वीं सदी को महिलाओं की सदी की संज्ञा दी जा रही है।

***शोधार्थी**
राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर (राज.)

सन्दर्भ सूची

1. मिश्रा स्वेता –''पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता,'' ग्रामीण विकास न्यूज लेटर, जुलाई 1997, पृ. 7
2. किदवई जयोत्सना, सिस्टर निवेदिता – ''प्रवजिका आत्मप्राण'', रामकृष्ण मठ, नागपुर 1998, पृ. 31
3. सक्सेना के.बी.– ''पंचायती और महिलाऐं'' कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, फरवरी, 1989, पृ. 53
4. मौर्य, शैलेन्द्र– ''महिला राजनीतिक नेतृत्व एवं महिला विकास'', पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2011, पृ. 3
5. उपर्युक्त संदर्भ, पृ. 1
6. मिल.जे.एस. – ''स्त्रियों की पराधीनता'', (प्रगति सक्सेना द्वारा अनुवादित), राजकमल विश्व क्लासिक, दिल्ली, 2003, पृ. 14
7. आर्य, साधना, मेनन, निवेदिता – लोकनीता जिनी, ''नारीवाद राजनीतिः संघर्ष व मुद्दे'', हिन्दी माध्यम कार्यवन्यन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 2001, पृ. 57

8- सक्सेना, किरण – ''विमेन्स एण्ड पॉलिटिक्स'' ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली 2001, पृ. 34